दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित *तिथि: 21 जनवरी, 2014*
उद्घोषित तिथि: 30 जनवरी, 2014

आप.अ. 542/1998

श्री नारायण और अन्य .... अपीलार्थीगण

के माध्यम से: श्री दिनेश चंदर यादव, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) .. प्रत्यर्थी

के माध्यम से: श्री रजत कात्याल, राज्य के लिए अति.लो.अभि. के साथ उप.नि.प्रेमवीर सिंह, थाना सुल्तान पुरी।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना
माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी.मित्तल

निर्णय

न्या. जी.पी. मित्तल

1. यह अपील एक छोटे से विवाद से संबंधित है, जिसके परिणाम बहुत गंभीर और दर्दनाक रहे, जिसमें एक मां (सुंदरी देवी) ने अपने एक बेटे (हरि प्रकाश) को खो दिया, जबकि दूसरे बेटे (श्री नारायण) और उसकी पत्नी (श्रीमती सविता) को मृतक हरि प्रकाश की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2. प्राथमिकी सं.512/1992, जिसके आधार पर अपीलकर्ताओं ने सत्र मामला सं.146/1996 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण का सामना किया था, मृतक हरि प्रकाश के बयान पर दर्ज की गई थी, जिसे विचारण न्यायलय (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) ने मृत्युपूर्व बयान के रूप में माना था। इसे सत्य और स्वैच्छिक मानते हुए, अति.सत्र.न्या. ने इस पर भरोसा किया और माना कि अपीलकर्ताओं ने मृतक की हत्या करने के लिए स्वर्गीय सूरत सिंह उर्फ बंटी, जो अपीलकर्ता सविता का भाई था, के साथ एक साझा इरादा किया।

3. मृतक हरि प्रकाश द्वारा एसआई बलबीर सिंह को की गई शिकायत प्र.अभि.सा.2/बी का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिया गया है:--

> *" मैं ऊपर बताए गए पते पर रहता हूँ। मैंने अपने छोटे भाई श्री नारायण की शादी करीब डेढ़ साल पहले रेवाड़ी में करवाई थी। इस मकान में दो कमरे हैं, एक कमरे में मेरा छोटा भाई श्री नारायण अपनी पत्नी सविता के साथ रहता है, जबकि मैं और मेरी माँ छत पर रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर का कमरा किराए पर दिया हुआ है। मेरे भाई श्री नारायण और उनकी पत्नी सविता ने आग्रह किया कि ग्राउंड फ्लोर का कमरा खाली करवाकर हम उसमें रहें, जिस पर मैंने कहा कि शादी के बाद हम कमरा खाली करवाकर वहीं रहेंगे। इसी बात को लेकर श्री नारायण के साले सूरत सिंह उर्फ बंटी और उनकी बहन मेरी माँ से झगड़ते रहते थे। दिनांक 24.10.1992 को भी उनमें झगड़ा हुआ। दिनांक 03.11.1992 को, लगभग 08:10 बजे, विवाद फिर से शुरू हो गया। मेरे छोटे भाई श्री नारायण ने मुझे पकड़ लिया और उसकी पत्नी सविता ने मुझे थप्पड़ और घूंसे मारे। सूरत सिंह उर्फ बंटी, पुत्र दत्त राम, निवासी बस स्टैंड, झुग्गी ने चाकू निकाला और मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे पेट और कंधे पर वार किया। क्योंकि बंटी पहले से ही मुझे मारने के मौके की तलाश में था और इसीलिए उसने मुझे जान से*

मारने की नीयत से चाकू से वार किया था। मेरे भाई श्री नारायण और उसकी पत्नी सविता ने मुझे पकड़ लिया था। उन्होंने पहले से ही मेरी जान लेने की योजना बना ली थी। जगन्नाथ और अन्य लोग मुझे बचाने आए और मेरी माँ मुझे डीडीयू अस्पताल ले गई। कृपया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।"

4. एमएलसी के साथ-साथ मृतक हरि प्रकाश द्वारा दिए गए बयान प्र.अभि.सा.-2/बी पर उप.नि. बलबीर सिंह द्वारा किए गए समर्थन प्र.अभि.सा.-2/सी से भी स्पष्ट है कि घटना के तुरंत बाद, मृतक को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में ले जाया गया था। उप.नि. बलबीर सिंह ने मृतक का बयान दर्ज करने के लिए डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया।

5. अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों से पूछताछ की। मृतक की मां सुंदरी देवी, जो घटना की गवाह थी, उसका बयान दर्ज होने से पहले ही विचारण के दौरान मर गई। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष को घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह जगन नाथ से पूछताछ करने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि, उसने अभियोजन पक्ष के विवरण का समर्थन नहीं किया कि वह घटना का गवाह था। उसने गवाही दी कि घटना के दिन, जब वह अपनी ड्यूटी से लौटा, तो उसे पता चला कि झगड़ा हुआ था। उसने घायल हरि प्रकाश (अब मृतक) को अस्पताल पहुंचाया। राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा उनसे जिरह करने की अनुमति दी गई, लेकिन वे अपने कथन पर अड़े रहे और इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपीलकर्ता श्री नारायण और सविता को हरि प्रकाश को पकड़ते हुए और तीसरे आरोपी सूरत

सिंह उर्फ बंटी (अब मृतक) को मृतक के पेट, कंधे और चेहरे पर चाकू से वार करते हुए देखा था। अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच किये गए अन्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले में विभिन्न स्त्रोत प्रदान किए हैं, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि चाकू मारने की घटना डी-2/337, सुल्तान पुरी, दिल्ली में हुई थी। बताया जाता है कि हरि प्रकाश ने दिनांक 17.11.1992 (घटना के 14 दिन बाद) को चोटों के कारण दम तोड़ दिया। डॉ. एल.टी. रमानी ने कहा कि पेट के अंदरूनी हिस्सों में लगी चोट सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने बताया कि मौत पेट की आंतरिक सतह पर चोट लगने के कारण हुए शॉक पेरिटोनाइटिस के कारण हुई।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.) की धारा 313 के तहत अपनी जांच में अपीलकर्ताओं ने घटना से साफ इनकार किया है। उन्होंने इस बारे में कोई विवरण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि घटना वास्तव में कैसे हुई।

7. जैसा कि पहले कहा गया है, अति.सत्र.न्या.ने घायल हरि प्रकाश (मृतक) द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया और इसे मृत्यु पूर्व बयान माना। उन्होंने अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए मृत्युपूर्व बयान पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट को बुलाने का अवसर था, उन्होंने कहा कि हरि प्रकाश की मृत्यु अभि.सा.-2 द्वारा अनुमानित नहीं थी और इसलिए यह ऐसा मामला नहीं था जहां मृत्युपूर्व बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाने का ठीक

समय था। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को उनके मृतक सह-अभियुक्त सूरत सिंह उर्फ बंटी के कृत्य के लिए धारा 34 भा.दं.सं. की सहायता से सार्थक रूप से उत्तरदायी मानते हुए दोषी ठहराया गया।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय को दोहरी चुनौती दी गई है। पहला, चूंकि मृतक की मृत्यु की आशंका नहीं थी, इसलिए बयान अभि.सा.-2/बी को मृत्युपूर्व बयान नहीं माना जा सकता था और दूसरा, ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि मृतक के शरीर पर घातक चोट पहुंचाने के लिए अपीलकर्ताओं और सह-आरोपी सूरत सिंह उर्फ बंटी (अब मृतक) के बीच कोई पूर्व-साजिश या गहरी सूझ-बूझ कर या पूर्व-नियोजित योजना थी। इसलिए, उन्हें धारा 34 भा.दं.सं. की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

9. पहले प्रश्न पर आते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम) की धारा 32 का सहारा लेते हुए हम कह सकते हैं कि यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि बयान देने वाले व्यक्ति को मृत्यु की आशंका हो। अधिनियम की धारा 32 का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

> *"32. **ऐसे मामले जिनमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य का कथन सुसंगत है जो मर चुका है या जिसे पाया नहीं जा सकता है, आदि।-** ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्यों का लिखित या मौखिक कथन जो मर चुका है, या जिसे पाया नहीं जा सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति बिना किसी विलम्ब या व्यय के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय को अनुचित प्रतीत होती है, निम्नलिखित मामलों में स्वयं सुसंगत तथ्य हैं:-*

> ***(1) जब वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो।-*** *जब कोई कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है।* ***ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उन्हें करने वाला व्यक्ति, उस समय जब वे किए गए थे, मृत्यु की प्रत्याशा में था या नहीं था,*** *और कार्यवाही की प्रकृति चाहे जो भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है।* ***(जोर दिया गया)***
>
> ***(2)*** .....
>
> ***(3)*** .....
>
> ***(4)*** .....
>
> ***(5)*** .....
>
> ***(6)*** .....
>
> ***(7)*** .....
>
> ***(8)*** .....
>
> ***(9)*** ....."

10. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि उस मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के लिए जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, मृत व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान उस समय दिया जाना आवश्यक नहीं है जब उसकी मृत्यु की आशंका हो।

11. हरियाणा *राज्य बनाम मांगे राम व अन्य*, (2003) 1 एससीसी 637 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून के तहत इस पहलू पर अंतर को उजागर किया और माना कि आसन्न मृत्यु की आशंका भारतीय कानून की आवश्यकता नहीं है और बरी करने के फैसले को पलटते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित कहा:-

> *"11. प्रदर्श पीक्यू (PQ) को खारिज करने का मुख्य कारण यह है कि जब पुलिस ने बयान दर्ज किया था, मृतक की मृत्यु का खतरा नहीं था और उसे लगी चोटें उसके*

जीवन के लिए खतरनाक भी नहीं थीं। अन्य कारण प्रदर्श पीक्यू (PQ) दर्ज करने में देरी बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विवेचना के लिए पर्याप्त समय लग गया और पूर्व दुश्मनी के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया, साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा संत राम की जांच न की गई और मृत्युपूर्व बयान में अभि.सा.5 को झूठा गवाह के रूप में पेश किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा की गई मूल त्रुटि यह मानने में है कि मृत्युपूर्व कथन को साक्ष्य में स्वीकार्य होने के लिए यह आवश्यक है कि कथन देने वाला व्यक्ति, कथन देते समय मृत्यु होने की आशंका में हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 ऐसा नहीं कहती है। भारत में ऐसा कानून नहीं है। भारतीय कानून के तहत, मृत्युपूर्व कथन को साक्ष्य में स्वीकार्य होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कथन देने वाला व्यक्ति, कथन देते समय मृत्यु होने की आशंका में हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी मृत्यु निकट है। आसन्न मृत्यु की अपेक्षा कानून की आवश्यकता नहीं है....."

12. इसलिए उठाए गए पहले विवाद को खारिज कर दिया जाना तय है।

13. दूसरे तर्क पर आते हुए हम कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दूसरे के कृत्य के लिए सार्थक रूप से दोषी ठहराए जाने से पहले, उसे उनके बीच पहले से बनी सहमति या पहले से तय योजना के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। यह सच है कि साझा इरादा क्षण भर में पैदा हो सकता है और घटनास्थल पर भी अचानक बन सकता है, हालांकि, इसके लिए सकारात्मक सबूत होना चाहिए। विशेष रूप से, जहां एक व्यक्ति द्वारा घातक प्रहार किया जाता है और मौके पर मौजूद अन्य लोग निहत्थे होते हैं, तो साझा इरादे का अनुमान लगाने के लिए कुछ सकारात्मक सबूत होने चाहिए।

14. *लक्ष्मणजी व अन्य बनाम गुजरात राज्य, (2008) 17 एससीसी 48 में, जय भगवान बनाम हरियाणा राज्य, (1999) 3 एससीसी 102* पर भरोसा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

> *"11. ..... धारा 34 के तहत मामला दर्ज करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले से कोई साजिश या पूर्वचिंतन हो। घटना के दौरान साझा इरादा बनाया जा सकता है। धारा 34 को लागू करने के लिए इस तथ्य के अलावा कि दो या अधिक आरोपी होने चाहिए, दो कारक स्थापित होने चाहिए: (i) साझा इरादा, और (ii) किसी अपराध को करने में आरोपी की भागीदारी। यदि साझा इरादा साबित हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत आरोपी पर कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया जाता है, तो धारा 34 लागू होगी क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से प्रतिनिधि दायित्व शामिल है। लेकिन अगर अपराध में आरोपी की भागीदारी साबित हो जाती है और साझा इरादा अनुपस्थित है, तो धारा 34 लागू नहीं की जा सकती....."*

15. चूंकि इस तथ्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना कठिन है कि घटनास्थल पर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध स्थल पर उपस्थित सभी या उनमें से कुछ के समान इरादे को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, इसलिए समान इरादे का अनुमान अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित परिस्थितियों से आवश्यक रूप से निकाला जाना चाहिए। *बृजलाला पीडी सिन्हा बनाम बिहार राज्य, (1998) 5 एससीसी 699 में,* सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब तक साबित परिस्थितियों से आवश्यक निष्कर्ष के रूप में एक सामान्य इरादा स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक आरोपी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए। रिपोर्ट के पैरा 11 में, सर्वोच्च न्यायलय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया :

"11. ..... जब तक कि साबित परिस्थितियों से आवश्यक निष्कर्ष के रूप में एक सामान्य इरादे की पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक अभियुक्त व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए। धारा 34 के प्रयोजनों के लिए सामान्य आशय का अनुमान लगाने के लिए, साक्ष्य और मामले की परिस्थितियों से, बिना किसी संदेह के, यह स्थापित होना चाहिए कि विभिन्न अभियुक्तों के बीच विचारों का मिलन और सम्मिश्रण हुआ था और इसके अभियोजन में, अभियुक्त व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्य ऐसे हुए मानो वे एक ही मन के आदेश का पालन कर रहे हों। यदि साक्ष्य के आधार पर किसी विशेष अभियुक्त के सामान्य इरादे में शामिल होने पर संदेह हो तो संदेह का लाभ उक्त अभियुक्त को दिया जाना चाहिए....."

16. *धर्म पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 1978 एससी 1492 में*, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया:

"15. प्रतिनिधि दायित्व तय करने वाली आपराधिक न्यायालय को मुख्य अपराधी और उसके साथियों के इरादों की पूर्व बैठक के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए, जिन्हें पूर्व द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के संबंध में सार्थक रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। हमारी जानकारी में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि मुख्य अपराधी के साथ जाने वाला व्यक्ति उसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के संबंध में उसके इरादे को साझा करता है। साझा इरादे का अस्तित्व या न होना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है....."

17. *सलीम उर्फ़ नाजू बनाम राज्य, आपराधिक अपील सं. 976/2012,* जिसका निर्णय इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 20.09.2013 को किया था, जिसमें हम में से एक (जी.पी. मित्तल, जे) पक्षकार थे, किशोर और दो अपीलकर्ताओं ने मृतक से मोबाइल फोन मांगा और मृतक ने आरोपी व्यक्तियों को मोबाइल फोन देने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद सह-

अभियुक्त, यानी किशोर ने मृतक पर चाकू से हमला किया जिसे उसने निकाल लिया। किशोर को मृतक पर चाकू से हमला करने के लिए किस बात ने उकसाया, इसका पता नहीं लगाया जा सका। खंडपीठ ने माना कि यद्यपि राज्य की ओर से उठाए गए इस तर्क को स्वीकार करना कठिन था कि तीनों आरोपी मृतक से मोबाइल फोन लूटना चाहते थे, फिर भी यदि यह मान भी लिया जाए कि तीनों लड़के डकैती करना चाहते थे, तो भी मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाने के लिए दोनों अपीलकर्ताओं के साझा इरादे को दर्शाने वाला कोई सबूत नहीं था।

18. *सुरेंदर कुमार उर्फ़ डिम्पी व अन्य बनाम राज्य, आपराधिक अपील सं. 702/2001,* जिसका निर्णय इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 19.11.2009 को किया था, में तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता सुरेंदर अपनी पड़ोसन उषा को तंग करता था। उषा ने इस बारे में अपने पिता, दो भाइयों और मां से शिकायत की थी। इन चारों का अपीलकर्ता सुरेंदर से झगड़ा हुआ था। सुरेन्द्र के माता-पिता मौके पर पहुंचे। जब एक तरफ सुरेन्द्र और दूसरी तरफ राजेश, नरेश और किशन लाल (मृतक) के बीच मौखिक द्वंद्व चल रहा था, तो आरोपी रमेश चंद ने ऊषा के भाई किशन लाल को पीछे गर्दन से जकड़ लिया और सुरेन्द्र ने उस पर चाकू से वार कर दिया। तथ्यों के आधार पर, यह पाया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि सह-आरोपी, यानी अपीलकर्ता रमेश चंद और वेद रानी को सुरेन्द्र के चाकू ले जाने की जानकारी थी। खंडपीठ ने माना कि सह-

आरोपी रमेश चंद और वेद रानी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका मृतक सुरेंद्र द्वारा छाती पर चाकू से वार करने का समान इरादा किया था। सुरेंद्र कुमार उर्फ़ डिम्पी मामले में रिपोर्ट का पैरा 50 नीचे उद्धृत किया गया है:-

> *"50. इसके अलावा, अभियुक्तों द्वारा साझा किए गए सामान्य इरादे के मुद्दे पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रकरण का प्रारंभिक बिंदु सुरेन्द्र था जो सड़क पर प्रतिपक्षी था, जिसने उषा को छेड़ा था, जो घर गई और शिकायत की, जिसके कारण मृतका, उसके दो भाई और उसकी मां सुरेन्द्र के साथ बदला लेने के लिए सड़क पर गए, जो अभी भी सड़क पर एकमात्र प्रतिपक्षी बना हुआ था। उसके माता-पिता उस समय शामिल हुए जब एक तरफ सुरेंद्र और दूसरी तरफ मृतक राजेश, नरेश और कृष्ण के बीच मौखिक द्वंद्व चल रहा था। उन्हें मृतक (sic) के बारे में क्या पता था कि सुरेन्द्र के पास चाकू है? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्हें पता था। यहां तक कि अगर उन्होंने मृतक को पकड़ भी लिया तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मृतक की हत्या करने या सुरेंद्र द्वारा मृतक की छाती पर चाकू से वार करने के किसी साझा इरादे से ऐसा किया था। "*

19. *राज्य बनाम सुनील उर्फ आकाश उर्फ सागर, आपराधिक एल पी 527/2011,* जिस पर इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने दिनांक 23.01.2012 को निर्णय दिया था, में प्रत्यर्थी सुनील ने मृतक के हाथों को पीछे से पकड़ा और सह-अभियुक्त विपिन ने मृतक (सूरज) की छाती पर चाकू से वार किया और फिर दोनों आरोपी मौके से भाग गए। इस बात की कोई जानकारी न होने के कारण कि विपिन के पास चाकू था और वह उसका प्रयोग करने वाला था, खंडपीठ ने कहा कि सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत हत्या के अपराध से बरी करना उचित ही है।

20. *कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1995 पूरक (4) एससीसी 558* में, अपीलकर्ता कश्मीरा सिंह को दो अन्य लोगों विलियम और सुखचैन सिंह के साथ पठित धारा 302 के साथ धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। तीनों पर जेबकतरे होने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 30.05.1979 को मृतक सुखबिंदर सिंह और उनके भाई अभि.सा.-4 और चाचा अभि.सा.-5 ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए अमृतसर गए थे। यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता (कश्मीरा सिंह) ने अभि.सा.-5 की शर्ट की जेब में हाथ डालने की कोशिश की, जिसने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। इसके बाद, अभि.सा.-5 ने मृतक को बुलाया और मृतक ने अपीलकर्ता को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इस प्रक्रिया में, अपीलकर्ता और उसके सह-आरोपी सुखचैन सिंह ने मृतक को पकड़ लिया और विलियम जो वहां मौजूद था, ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और मृतक की गर्दन पर वार कर दिया। मृतक गिर गया और तीनों भाग गए। सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि अपीलकर्ताओं (कश्मीरा सिंह और सुखचैन सिंह) के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे सह-अभियुक्त विलियम के साथ शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चाकू से चोट पहुंचाने के लिए समान इरादे रखते थे। अपील को स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ता कश्मीरा सिंह और सुखचैन सिंह (जिन्होंने अपील भी नहीं की थी) को बरी कर दिया गया।

21. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह ध्यान में रखना होगा कि यह मृतक द्वारा पुलिस को दिया गया मृत्युपूर्व कथन था, जो कि

प्र.अभि.सा.-2/बी था, जो धारा 34 भा.दं.सं. की सहायता से धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि का आधार बना। बयान में इस बात का बिलकुल भी जिक्र नहीं किया गया है कि अपीलकर्ताओं ने सूरत सिंह उर्फ बंटी को मृतक की हत्या करने या चाकू मारने के लिए उकसाया था। बयान में यह भी नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ताओं को सह-आरोपी सूरत सिंह उर्फ बंटी को चाकू रखने की जानकारी थी। बयान से पता चलता है कि जब मृतक को अपीलकर्ता श्री नारायण ने पकड़ रखा था, तो अपीलकर्ता सविता ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारे थे। इसी समय सूरत सिंह उर्फ बंटी ने अचानक चाकू निकाला और मृतक के पेट में घोंप दिया। यद्यपि, हम विद्वान अति.सत्र.न्या. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं कि मृतक द्वारा उप.नि. बलबीर सिंह को दिए गए बयान प्र.अभि.सा.-बी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, जब वह पूरी तरह से होश में था और उसके पास किसी को भी झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं था, फिर भी यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता श्री नारायण और सविता ने सह-अभियुक्त सूरत सिंह उर्फ बंटी द्वारा चाकू से चोट पहुंचाने का सामान्य इरादा साझा किया था। यह भी नहीं बताया गया है कि जब चोटें पहुंचाई जा रही थीं, तब अपीलकर्ता श्री नारायण मृतक को पकड़े हुए थे। इस प्रकार, धारा 302 के साथ पठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपीलकर्ताओं की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसे खारिज किया जाना चाहिए।

22. तथापि, मृत्यु पूर्व बयान प्र.अभि.सा.-2/बी से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कुंद वस्तु से साधारण चोट पहुंचाने, अर्थात थप्पड़ और मुक्का मारने के दोषी हैं। इसलिए, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और प्रत्येक को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है, जो वे पहले ही काट चुके हैं।

23. अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 13.01.1999 (सविता) तथा दिनांक 03.04.2003 (श्री नारायण) के आदेशों के अनुसरण में जमानत पर रिहा किया गया। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानती बंधपत्र निरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

24. अपील को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है।

(जी.पी. मित्तल)
न्यायाधीश

(संजीव खन्ना)
न्यायाधीश

जनवरी 30, 2014
वीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*